न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 82 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

भैरू लाल पिता उगमा गूजर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

1. रामा पिता लक्ष्मण जाट निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा
2. मदन पिता किसन गुर्जर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

3–4 अमरा, सूरतराम पिता उगमा निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

5. कैलाश पिता रामा जाट निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

6– रामा पिता ओनाड गूर्जर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

7–9 भंवरलाल, महादेव, जगदीश पिता चतुर्भज गूजर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

10– रामकरण पिता हरजी गूजर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

11. गोपाल पिता नन्दा गूजर निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

12. ओमप्रकाश पिता नाना खाती निवासी बच्छखेडा तहसील शाहपुरा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12 / 01 / 21

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के [illegible] विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थी के ग्राम बच्छखेडा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 4166 / 110 रकबा 0.58 है0, 4168 / 196 रकबा 0.08 है0, 4169 / 262 रकबा 0.18 है0, 4171 / 559 रकबा 0.18 है0, 4177 / 668 रकबा 0.40 है0 कुल किता 5 रकबा 1.42 है0 हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि [illegible] पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण [illegible] सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई [illegible] पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बच्छखेडा संवत 2076 से 2079 [illegible] अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात का प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात [illegible] पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बच्छखेडा में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 5 रकबा 1.42 है0 हैक्टेयर की [illegible] पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी ऑफ सीजन में [illegible] जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु [illegible] 300 / – रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। [illegible] मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तकमील [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 12 / 01 / 21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

प्रतिलिपि – तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.